

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

05 एच पी के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान हेतु ₹ 110000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1100,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी हेतु ₹ 16348.695 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 163,48,69,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विद्युत कम्पनियों को सहायता हेतु ₹ 375,00.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 375,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2810

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण योजना हेतु ₹ 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 5

छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।